न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 41 / 2022 — अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगाराम पुत्र नथाराम 2. खीमाराम पुत्र नथाराम 3. कैलाशचंद पुत्र नथाराम जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. नथाराम पुत्र हेमाराम 2. पप्पूदेवी पुत्री नथाराम पत्नी उदाराम जाति कुम्हार, निवासी थूम्बली तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. मोहनीदेवी पुत्री नथाराम पत्नी देवाराम जाति कुम्हार, निवासी नीम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. गुड्डीदेवी पुत्री नथाराम पत्नी नेमाराम जाति कुम्हार, निवासी नेहड़ान तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर 5. तहसीलदार शिव

उपस्थित — 1. अधिवक्ता वादीगण — श्री जेठाराम कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 — श्री बालाराम गोदारा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 03.10.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा मणिहारी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 527 / 464 रकबा 27.5186 हैक्टेयर की आसी हुई है। उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्व पुरूष हेमाराम के विधिक वारिश है। पूर्व पुरूष हेमाराम के फौत होने पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र / पुत्री / पौत्र / पौत्री / प्रपौत्र का जन्म से अधिकार निहित होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से वादीगण एंव प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा निहित है तथा बहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है। पक्षकारान् अपने अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगों के बहकावें में आकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर उक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान अजनबी क्रेताओं को करने पर आमादा है, जबकि पैतृक सहदायिकी संपति में प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण सरकारी योजनाओं एवं अन्य कृषि विकास के कार्यों से वंचित रह जाते है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खाते[illegible]प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त [illegible]दारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर [illegible] की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा इकबाली [illegible]दावा प्रस्तुत कर उपरो[illegible]ग्रस्त आराजी मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह[illegible]दार घोषित किये जाने [illegible]कार किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर अपने हिस्से मे आने वाली भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:17:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहमति प्रदान की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, खतौनी बन्दोबस्त व बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र एवं राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तदनुसार वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 हेमाराम के वारिस है, जो जाति से कुम्हार होने से वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित होते थे। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी हिन्दू विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी से भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्व0 हेमाराम के वारिश होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा राजीनामा पेश कर वादपत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है। विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से हिन्दू विधि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4, प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संताने होने से सभी का बराबर हक हिस्सा निहित है जबकि प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि की घोषणा वादीगण के पक्ष में किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रतिवादीगण से कोई सारवान अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से वादीगण का पैतृक रूप से हक हिस्सा निहित होने से उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मणिहारी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 527/484 रकबा 27.5188 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। तहसीलदार, शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। पैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:17:59 IST
Reason: SelfAttested